

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक प.16(3) चि.स्वा./ग्रुप-2/2017

जयपुर, दिनांक : 06.11.2017

समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
समस्त प्राचार्य/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान


विषय:- सेवारत चिकित्सकों के सामुहिक अवकाश/इस्तीफे दिये जाने से पेन्शनर्स को हो रही परेशानी के निराकरण के संबंध में।

सेवारत चिकित्सकों के सामुहिक इस्तीफे/सामुहिक अवकाश पर जाने से पेन्शनर्स को हो रही परेशानी का निराकरण करने हेतु सेवानिवृत्त चिकित्सकों/निजी चिकित्सकों को इस अवधि के दौरान अधिकृत किया जाता है। अवकाश अवधि के दौरान उपचाररत पेन्शनर्स उपरोक्त चिकित्सकों से निजी परामर्श लेकर, अपनी पेन्शनर्स डायरी में जैनेरिक नाम से दवायें लिखवाकर कानफेड की दुकान से पूर्व की भांति दवायें प्राप्त कर सकेंगे।


(वीनू गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, पेन्शनर्स, राजस्थान जयपुर
5. प्रभारी कन्ट्रोल रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर
6. प्रभारी सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सभी संबंधित को ई-मेल करावें एवं विभाग की बेवसाईड पर तुरन्त अपलोड करावें।


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव